महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान
अधारताल, जबलपुर म.प्र.

ईमेल ddmgsirdjab@mp.gov.in वेबसाईट www.mgsird.org

जनपद पंचायत एवं क्लस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले जनप्रतिनिधियों एवं अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, मउगंज, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली जिलों के लिये

निविदा आमंत्रण

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल, जबलपुर म.प्र. द्वारा जनपद पंचायत एवं क्लस्टर स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय कर्मियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं सेमीनार आयोजित किये जाते है। प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर चाय–नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं पानी की व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं शर्ते कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिवस छोड़कर) 500/– रूपये (पांच सौ रूपये मात्र) नगद जमा कर प्रकाशन दिनांक से 09.01.25 तक प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त निविदा फार्म एवं शर्ते संस्थान की वेबसाइट www.mgsird.org पर भी उपलब्ध है। निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.01.25 दोपहर 01:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएं 10.01.25 को दोपहर 03:00 बजे निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा स्वीकृति/निरस्ती के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगें।

संचालक

भाग—एक

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान अधारताल जबलपुर

Email- mgsirdmgsird@yahoo.com

जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, मउगंज, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली जिलों की जनपद पंचायत एवं कलस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भोजन की व्यवस्था हेतु आवेदन।

आवेदन क्रमांक ————
दिनांक——————
जारी करने वाले के हस्ताक्षर

प्रति,

संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान
अधारताल जबलपुर म.प्र.

01. निविदाकार / संस्था का नाम ....
02. संस्था प्रमुख का नाम ....
03. संस्था का पूर्ण पता ....
04. संस्था का पंजीयन ....
    अ. गुमास्ता एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन
    ब. पेन नं.
    स. जीएसटी टैक्स नंबर (यदि लागू हो तो)
    द. केटरिंग कार्य करने का पंजीयन क्रमांक
    फ. खाद्य विभाग से जारी पंजीयन क्रमांक
    ई. यदि संस्था सहकारी संस्था हो जो उसका संपूर्ण विवरण
05. संस्था द्वारा पूर्व में किये गये कार्यो का विवरण प्रमाण पत्रों / अनुभव सहित विवरण (यदि हो तो संलग्न करें)
06. अमानत राशि का विवरण——————————————————————————————
07. अन्य कोई जानकारी जो आप देना चाहेंगे (संलग्न करें)

हस्ताक्षर
संस्था का नाम
पूर्ण पता (सील)

<u>भाग–दो</u>

वित्तीय प्रपत्र

जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, मउगंज, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली जिलों की जनपद पंचायत एवं कलस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भोजन की व्यवस्था हेतु

क्र0	विवरण	जिले का नाम	प्रति प्रतिभागी प्रति दिवस दरें (राशि रूपये में)
1	2	3	4
1	प्रशिक्षणार्थियों / प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर प्रातः 09:30 बजे चाय नाश्ता, प्रातः 11:30 चाय, बिस्किट दोपहर 01:30 बजे भोजन जिसमें (दाल, चावल, रोटी, एक सूखी सब्जी, एक रसेदार की सब्जी, एक मीठा, सलाद / आचार) इत्यादि तथा सायं: 03:30 बजे चाय, बिस्किट एवं पानी की व्यवस्था।		

नोटः नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगा।

निविदाकार का नाम तथा हस्ताक्षर

सील सहित

जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, मउगंज, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली जिलों की जनपद पंचायत एवं कलस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भोजन की व्यवस्था हेतु नियम एवं शर्ते :–

संस्थान द्वारा समय–समय पर जनपद एवं कलस्टर स्तर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं सेमीनार इत्यादि में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागियों के लिये प्रशिक्षण स्थल पर प्रतिभागियों की संख्या अनुसार चाय–नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं पानी की आवश्यक व्यवस्थायें अस्थाई तौर पर समय समय पर की जानी है, जिसके लिये निविदाकर्ता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा –

01. आवेदक फर्म के पास जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
02. प्रतिष्ठान किसी भी संस्थान में डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
03. खाद्य सामग्री आई0एस0आई मार्क एवं गुणवत्ता पूर्ण ही उपयोग की जावेगी।
04. भोजन व्यवस्था में लगने वाले स्टाफ को निर्धारित ड्रेस में ही कार्य करना होगा जिनके पास परिचय पत्र एवं बैच लगा होना चाहिये।
05. निविदाकर्ता के कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा एवं उनको भुगतान एवं ईपीएफ/ईआईसीई आदि के भुगतान की रसीद आगामी देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी।
06. सभी प्रकार के कर के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार/संस्था होगा। कर के संबंध में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
07. संस्थान द्वारा समय समय पर व्यवस्था के संबंध में जो निर्देश दिये जावेगे उसका पालन करना होगा।
08. आवेदन पत्र के साथ अमानत राशि रू. 10000.00 अंकन दस हजार रूपये जो डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा जो भाग–1 के साथ संलग्न कर जमा करना होगा एवं निविदाकार का चयन होने की स्थिति में रू. 50000.00 अंकन रू. पचास हजार सुरक्षा निधि जमा करना होगी।
09. यदि किसी भी प्रकार की कार्य में लापरवाही पाई जाती है तो आपका ठेका तुरंत निरस्त किया जाकर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेंगी एवं ब्लैक लिस्टेट की कार्यवाही की जावेगी।
10. भाग एक एवं भाग दो पृथक पृथक लिफाफों में रखकर एक बड़े लिफाफे में निविदा देनी होगी। पहले भाग एक का लिफाफा खोला जावेगा तदुपरांत भाग दो (वित्तीय ऑफर) खोला जावेगा।

11. प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना एजेन्सी को पूर्व में दी जावेगी।
12. निविदा के नियम एवं शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संस्थान के संचालक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जबलपुर होगा।
13. सफल निविदाकार को आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या से मान से प्रशिक्षण स्थल पर प्रातः 09:30 बजे चाय नाश्ता, प्रातः 11:30 चाय, बिस्किट दोपहर 01:30 बजे भोजन जिसमें (दाल, चावल, रोटी, एक सूखी सब्जी, एक रसेदार की सब्जी, एक मीठा, सलाद/आचार) इत्यादि तथा सायंः 03:30 बजे चाय, बिस्किट एवं पानी की व्यवस्था करना होगा।
14. निविदा की अवधि अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2026 तक होगी।

हस्ताक्षर
संस्था का नाम
पूर्ण पता (सील)